प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 04 जून,2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोबिन पुत्र श्री जगवीर सिंह जाट, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1603/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 04-01-2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी रोबिन पुत्र श्री जगवीर सिंह जाट, जो ग्राम-सारंगपुर, थाना-खुर्जा नगर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.07.2012 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कक्षा आठ की छात्रा के साथ बलात्कार किया और वीडियो बनाने एवं हत्या का प्रयास की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-65/2012 में भा०द०वि० की धारा-376(2)(जी), 506 व सूचना प्रौद्यागिकी अधिनियम-2000 की धारा-66 ई व 67 ए के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0-15, बुलन्दशहर के दण्डादेश दिनांक 19.04.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.10.2023 तक अपरिहार 11 वर्ष, 02 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी की 38 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (कक्षा आठ की छात्रा के साथ बलात्कार और वीडियों बनाने एवं हत्या का प्रयास) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोबिन (बन्दी संख्या-17418) पुत्र श्री जगवीर सिंह जाट, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-679/2026/116(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।